कार्यालय द्वितीय अपील प्राधिकारी, आर.एस.आर.डी.सी. लि.

अपील संख्या 27 / 2019

मैसर्स मोदी फर्नीचर अनलिमिटेड

बनाम

परियोजना निदेशक यूनिट – भीलवाडा, आर.एस.आर.डी.सी. लि.

द्वितीय अपील प्राधिकारी – एन.एम.शर्मा (प्रबन्ध निदेशक)

उपस्थित –

1. अपीलार्थी – श्री अरविन्द
2. प्रत्यार्थी – परियोजना निदेशक यूनिट – भीलवाडा, आर.एस.आर.डी.सी.

निर्णय

दिनांक :– 05.07.2019

यह कि वर्तमान अपील द्वितीय अपील प्राधिकारी के समक्ष राजस्थान लोक उपापन अधिनियम 2012 सपठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अन्तर्गत अपीलार्थी मैसर्स मोदी फर्नीचर ने दिनांक 02.05.2019 को उनके प्रतिनिधि द्वारा दायर कर प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 24.04.2019 के विरूद्व वर्तमान द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलान्ट के प्रतिनिध द्वारा यह कथन किया गया है मूल निविदा दिनांक 05.02.2019 ही निरस्त की जा चुकी है इसलिए अपीलान्ट अपनी अपील को वापिस लेना चाहता है।

अपीलान्ट के अनुरोध को स्वीकार करते हुये अपील को वापिस लेने का अनुरोध स्वीकार किया जाता है, तदानुसार द्वितीय अपील अपीलान्ट निस्तारित की जाती है।

आदेश आज दिनांक 05.02.2019 को सुनाया गया ।

द्वितीय अपील प्राधिकारी

5/7/2019

एन.एम.शर्मा

प्रबन्ध निदेशक

N.M. SHARMA
M.D., RSRDC